क्रम-संख्या—28

रजि. नं. एस. एस. डब्लू./एन. पी. 863

लाइसेन्स नं0 डब्लू पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

(18)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

माघ 18, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-293/सत्रह-वि0-1-1 (क) 3/1998

लखनऊ, 7 फरवरी, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1998

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1998]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 8 जनवरी, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(घघ) 'शीरा वर्ष' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है;"

धारा 8 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(क) उप धारा (1) में शब्द "आज्ञा द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आज्ञा द्वारा" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

"(1-क) उप धारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी शक्कर के कारखाने का अध्यासी शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में शक्कर के कारखाने में उत्पादित शीरे का चालीस प्रतिशत ऐसे रासायनिक उद्योगों को बेचेगा या सम्भरित करेगा जो शीरे के वास्तविक उपभोक्ता हों और जिन्हें संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन लाइसेंस स्वीकृत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि शीरे की ऐसी मात्रा जो उक्त रासायनिक उद्योगों द्वारा अपेक्षित न हों, नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन से शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा किसी अन्य इकाई को, जो शीरे के वास्तविक उपभोक्ता हों, बेची या सम्भरित की जा सकती है।"

धारा 10 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(एक) उपधारा (1) में शब्द "उस मूल्य पर बेचेगा जो अनुसूची में नियत मूल्य से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "बेचेगा" रख दिया जायगा;

(दो) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि पेय मद्यसार की आसवनियों को, जिन्हें देशी शराब के थोक संविदा सम्भरण के लिए लाइसेंस दिया गया है, शीरा, जिसके सम्बन्ध में धारा 8 के अधीन आज्ञा दी गयी हो, उस मूल्य पर जो अनुसूची में तत्समय नियत मूल्य से अधिक न हो, 31 मार्च, 1998 तक सम्भरित किया जाना जारी रखा जायगा;"

(तीन) उपधारा (2) और स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 10-क का प्रतिस्थापन

5--मूल अधिनियम की धारा 10-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"10-क--शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी, नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विक्रय मूल्य से ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रह की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा :

संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि

शीरे की श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक

अनुसूची का निकाला जाना

6--मूल अधिनियम की अनुसूची 31 मार्च, 1998 से निकाल दी जायगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1998

7—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन व अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 293 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 3-1998

Dated Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1998

[U.P. ACT No. 4 OF 1998]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 8, 1998.

Amendment of section 2 of U. P. Act No. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*d*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*dd*) 'molasses year' means the period beginning on the first day of November and ending on the thirty first day of October in the year next following ;"

Amendment of Section 8

3. In section 8 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "may by order require", the words "may, with the prior approval of the State Government, by order require" shall be *substituted* ;

(*b*) *after* sub-section (1), following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-*a*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the occupier of a sugar factory shall sell or supply forty per cent of the molasses produced in each quarter of a molasses year in the sugar factory to such chemical industries which are actual users of molasses and are granted licence under the United Provinces Excise Act, 1910 :

Provided that such quantum of molasses as is not required by the said chemical industries may be sold or supplied by the occupier of the sugar factory to any other unit which is actual users of molasses with the prior approval of the Controller."

Amendment of section 10

4. In section 10 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), the words "at a price not exceeding that prescribed in the schedule" shall be *omitted*;

(ii) *after* sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that the distilleries of potable alcohol which have been granted licence for wholesale contract supply of country liquor shall continue to be supplied molasses in respect of which an order under section 8 has been made at a price not exceeding that for the time being prescribed in the Schedule till March 31, 1998.";

(iii) sub-section (2) and explanation shall be *omitted*.

Substitution of section 10-A

5. *For* section 10-A of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Funds for regulation of adequate storage facilities

"10-A Every occupier of a sugar factory shall from the sale price for different grades of molasses specified below, place in a separate fund the amount as the State Government may notify in that behalf for being utilised for provision and maintenance of adequate storage facilities in accordance with general or special order issued from time to time by the Controller.

Grade of molasses	percentage of total sugar contents of molasses (expressed as reducing sugar)
I	50 per cent and above
II	44 per cent to 49.99 per cent
III	40 per cent to 43.99 per cent

Omission of the Schedule

6. The Schedule to the principal Act shall be *omitted* with effect from March 31, 1998.

Repeal and savings

7. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 1998 is hereby repealed. U. P. Ordinance of 1998

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. S. PANDEY
Vishesh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 226 सा० विधा०—(2374)—1998—850 (मैक०)।